


पत्रांक 66 संख्या III

## प्रमाण-पत्र

दिनांक 12/04/2023

प्रमाणित किया जाता है कि हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, फिरोजाबाद रोड, सुल्तानपुर चिलकाना, जिला सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 22-04-2023 को किया गया। आर्चिटेक्ट बजाज एण्ड एसोसियेशन, रजिस्ट्रेशन नम्बर-सीएटी-1/एफ-3121 एवं नम्बर-सीए/2004/33475 द्वारा दिये गये स्ट्रैक्चर स्टेबिल्टी प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2023 के आधार पर भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
सहारनपुर

# विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ग) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

पत्रांक 66/कम्प III हिमालयन इण्टरनेशनल स्कूल, दिनांक 18/04/2023


फिरोजाबाद रोड, सुल्तानपुर चिलकाना, जिला सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	<b>भवन की चेक लिस्ट</b>	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 4.50 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ (दो जीने हैं)
17	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ

सहायक अग्निशक्ती  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
सहारनपुर

  
Manager

Himalayan International School  
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

  
Principal

Himalayan International School  
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
19	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
21	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
22	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
24	भवन यदि दो मंजिला है तो— (I) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है? (II) क्या भवन में बेसमेन्ट (200 वर्ग मी० क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	हाँ नहीं
25	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हाँ
26	क्या भवन की सीढियां छत पर खुलती हैं?	हाँ
27	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
28	क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी० प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	नहीं
29	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
30	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	नहीं

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो० वि०  
सहारनपुर

Manager

Himalayan International School  
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

Principal

Himalayan International School  
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)